

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II __खण्ड 3 __उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 834] No. 834] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2012 वैशाख 12, 1934 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2012/VAISAKHA 12, 1934

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.आ. 994(अ).—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 112 की उप-धारा (2) के खंड (ग) तथा (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 19 जुलाई, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1024(अ) के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने से पहले छोड़े गए कार्यों से संबंधित कें, केंद्र सरकार, विद्युत अपील अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से एतद्द्वारा अपील अधिकरण की निम्नलिखित बेंचों के संबंध में अधिकार क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :

क्र0सं0	बेंच जहां स्थित है	बेचों का अधिकार क्षेत्र
1.	दिल्ली (प्रधान बेंच)	उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के केंद्रीय आयोग/निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों तथा गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों से उत्पन्न मामले ।
2.	चेन्नई (सर्किट बेंच)	दक्षिणी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले ।
3.	मुंबई (सर्किट बेंच)	पश्चिमी क्षेत्र गुजरात तथा महाराष्ट्र के न्याय-निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले ।

-4.	कोलकाता (सर्किट बेंचं)	पूर्वी क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले।
		पूर्वोत्तर क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय,, नागालैंड, त्रिपुरा के न्याय निर्णय अधिकारियों/राज्य आयोंगों के तथा मणिपुर और मिजोरम के संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के आदेशों से उत्पन्न मामले ।
5.	दिल्ली पूर्ण बेंच (सर्किट बेंच)	उपर्युक्त बेंचों में से किसी एक द्वारा भेजे गए मामले अथवा विषय वस्तु मामले अथवा कानूनी प्रश्न, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी ओर से पूर्ण बेंच दिल्ली में विचार करने के लिए गए आम जनता के हित शामिल हों।

[फा. सं. 46/6/2010-आर एंड आर] ज्योति अरोडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2012

S.O. 994(E).—In exercise of powers conferred by clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 112 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and in supercession of the Notification number S.O.1024(E), dated 19th July 2005, except in respect of things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government hereby notifies, in consultation with the Chairperson of the Appellate Tribunal for Electricity, the areas of jurisdiction in respect of the following benches of the Appellate Tribunal, namely:-

S.	Bench	Jurisdiction of the Benches
No.	situated at	
(1)	(2)	. (3)
1.	Delhi (Principal Bench)	Northern Region Matters arising from the orders of the Central Commission/ Adjudicating Officers/ State Commissions of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan and Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and Union Territories.
2.	Chennai (Circuit Bench)	Southern Region Matters arising from the orders of Adjudicating Officers/ State Commissions of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu.
3.	Mumbai (Ćircuit Bench)	

4.	Kolkata (Circuit Bench)	Eastern Region Matters arising from the orders of Adjudicating Officers/ State Commissions of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Sikkim and West Bengal. North-Eastern Region Matters arising from the orders of Adjudicating Officers/ State Commissions of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Joint Electricity Regulatory Commission for Manipur and Mizoram.
5.	Delhi Full Bench –(Circuit Bench)	Cases referred by either the above Benches or specific subject matter or question of law, which involves general public interest taken for consideration at Full Bench-Delhi suo motu by the Chairperson.

[F. No. 46/6/2010-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.